बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :- 2226906, फोन :- 0151-2226902, 0151-2226905
E-mail :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

क्रमांक/न.वि.कर/2024-25/3055-58

दिनांक 21/01/25

सार्वजनिक सूचना।

नगरीय विकास कर एंव पूर्व बकाया गृहकर पर विशेष छूट।

बीकानेर के सभी भूखण्ड एंव भवन मालिको को सूचित किया जाता है कि विगत वर्षों के बकाया नगरीय विकास कर पर वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। सम्पूर्ण बकाया गृहकर एकमुश्त जमा करवाने पर मूल गृहकर की राशि पर 50 प्रतिशत की छूट व शास्ति पर शत प्रतिशत छूट देय है। वर्ष 2023-24 तक का एकमुश्त नगरीय विकास कर की राशि जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति पर शत प्रतिशत छूट होगी। जिन प्रकरणो में वर्ष 2011-12 से पूर्व का नगरीय विकास कर बकाया है, उन प्रकरणो में एकमुश्त जमा कराने पर उस अवधि के नगरीय विकास कर में शास्ति की छूट के साथ मूल बकाया में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा विशेष छूट का लाभ लेते हुए 10 दिवस में बकाया नगरीय विकास कर एवं पुराना गृहकर अतिशीघ्र जमा कराये। इस संबंध में बकाया राशि के बिल डिमांड नोटिस भी नगर निगम बीकानेर द्वारा जारी किये जा चुके है।

यह राशि जमा नही करवाने पर निगम द्वारा भवनो के सीज की कार्यवाही अमल में लायी जावेगी एवं अधिभोगियो/बकायादारो के नाम अखबार में छापा किये जावेगे जिसके लिए बकायादार/अधिभोगी स्वंय जिम्मेदार होगा।

- Sd -
आयुक्त
नगर निगम बीकानेर

क्रमांक/न.वि.कर/2024-25/3055-58

दिनांक - 21/01/25

प्रतिलिपि :- वास्ते बीकानेर संस्करण के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।

1. श्रीमान निदेशक, जनसम्पर्क एवं प्रकाशन विभाग, राजस्थान संवाद जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना को राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर बीकानेर संस्करण के अंक में कम से कम स्थान में स्पष्ट पठनीय हो, प्रकाशित करवाते हुए बिल दो प्रतियों में नगर निगम बीकानेर में भुगतान हेतु प्रस्तुत करे।
2. ओसवाल डाटा प्रोसेसिंग, नगर निगम, बीकानेर को भेजकर लेख है कि आप नगर निगम, बीकानेर की अधिकारिक वेबसाईट पर उक्त आम सूचना को अपलोड करें।
3. वित्तीय सलाहकार, नगर निगम बीकानेर।
4. सुरक्षित पत्रावली।

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर